

संपत्ति अवभार प्रमाण - पत्र

प्रमाण पत्र सं० 1015 / 2023

आवेदन सं०.....

चूंकि श्री Dr. Asha Sakay Jhansi A.P. R.S. Jd. ने पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही I में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता० 13-9-2011 से ता० up to date तक की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है-

क्र. सं.	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रकृति के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	रावेदार	जिल्ला सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Pundag No. - 228 Ranchi Khata No. 252 plus No. 183 E 190 B Area - 4.50 Kama				NI			

दस्तावेजों के अनुसार विवरण दर्ज करें

1-बचक -पत्र की दशा में व्याज का दर और गुप्तान की अवधि दर्ज करें। वशात कि इनके बारे में उल्लेख हों।

2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मे यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उर्पयुक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोडा उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नही चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया:-

हस्ताक्षर Rajam

(पदनाम)- 5-8-23

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर _____

(पदनाम)-

कार्यालय S. P. O. Ranchi

तारीख 5-8-23



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

5-8-23

टिप्पणी- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्ही इन्ही संपत्तियों की निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों को प्रमाणित संव्यवहारों (इन्डेन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो उन्निष्ठ महिलाओं और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रसिद्धियाँ देखना चाहते हो अथवा जो उनके प्रतिनिधि लेना चाहते हो, अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों अवमारों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का गुप्तता करने पर महिलाएँ एवं अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु बुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सवधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गए तलाशी परिणाम की किरीत भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और बुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढ़े गए संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों अवमार की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पडता हो।

श्री 327 रानी, डि. 5-8-23 from R. Rajam को सं. अ. 1.
47 Manager I - O. Bank Ranchi को अ. अ.

निबंधन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (कांके)

5-8-2023

सम्पति अवभार प्रमाण - पत्र

प्रमाण पत्र सं० 1016 / 2023

आवेदन सं०.....

चूंकि श्री Minakshi Pandey Shri. An. R. S. Pd. ने मेरे पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित सम्पति के संबंध में संबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही I में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 13-9-2011 से ता० up to 2011 तक की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है:-

क्र. सं.	(क) सम्पति का विवरण	निस्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मुल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Pundag No-228 Raudh Khata No. 252 plot No-182 Sub plot No. V-5 Area 04 Katha				Nil			

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें

- 1-बचक -पत्र की दशा में व्याज का दर और मुगतान की अवधि दर्ज करें। बशत कि इनके बारे में उल्लेख हो।
- 2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मे यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ा उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया:-

हस्ताक्षर Bum

(पदनाम)- 5-8-23

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जांच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर _____

(पदनाम)-

कार्यालय 5-2-0-Kanau

तारीख 5-8-23



f

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

5-8-23

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुरार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की नियुचित दरतावेजों में दिखाया गया हो, तो वेही दरतावेजों के प्रमाणित संव्यवहारों (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हो अथवा जो उनके प्रतिस्तिपि लेना चाहते हो अथवा किन्हीं विनिर्दिष्ट संपत्तियों अवमारों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों एवं अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु बुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सवधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गए तलाशी परिणाम की किराी मूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

✓ (3) और बुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढ़े गए संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों अवमार की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पडता हो।

शु. 322 री. 5-8-23 अप. Dr. Asha Saha की शु. 270 50

44 Manager T. O. Bank Ranchi की शु.

f

निबंधन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (काके)

5-8-23

सम्पति अवगार प्रमाण - पत्र

प्रमाण पत्र सं० 1017 / 20-23

आवेदन सं०.....

चूंकि श्री Rajeev Ranjan Sharma ^{Agv. R. Sharma} को पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निरूपित संबंधधारों और अवगारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संबंधधारों और अवगारों के बारे में वही I में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 13-9-2011 से ता० up to date तक की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संबंधधारों और अवगारों का पता चला है:-

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निर्यादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				नियंत्रक	दावेदार	जिल्द सं०	पृष्ठ	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Pundag No-228 Ranch Khat No. 252 plus No. 183 & 190 B Area 4.50 kaha							

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें

1-बंदक -पत्र की दशा में व्याज का दर और गुणतान की अवधि दर्ज करें। बशर्त कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और कार्रिक लगान दर्ज करें।

मे यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उर्पयुक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोडा उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नही चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया:-

हस्ताक्षर Rajam

(पदनाम)- 5-8-23

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर _____

(पदनाम)-

कार्यालय S. P. O. Ranchi

तारीख 5-8-23



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

5-8-23

टिप्पणी- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्ही इन्ही संपत्तियों की निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों को प्रमाणित संव्यवहारों (इन्डेन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो उन्निष्ठ महिलाओं और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स)की प्रसिद्धियाँ देखना चाहते हो अथवा जो उनके प्रतिनिधि लेना चाहते हो, अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों अवमारों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का गुप्तान करने पर बहियाँ एवं अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु बुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सवधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गए तलाशी परिणाम की किराी मूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और बुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढ़े गए संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों अवमार की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पडता हो।

श्री 327 रंजी, डि. 5-8-23 from R. Rajam का सं. अ. 1.
47 Manager I - O. Bank Ranchi का अ. अ.

§

निबंधन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (कांके)

5-8-2023

सम्पति अवगार प्रमाण - पत्र

प्रमाण पत्र सं० 1017 / 20-23

आवेदन सं०

चूंकि श्री Rajeev Ranjan Sharma ^{Agv. R. Sharma} को पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निरूपित संबंधधारों और अवगारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संबंधधारों और अवगारों के बारे में वही I में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता० 13-9-2011 से ता० up to date तक की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संबंधधारों और अवगारों का पता चला है-

क्र. सं.	(क) संपत्ति का विवरण	निर्यादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				नियंत्रक	दावेदार	जिल्द सं०	पृष्ठ	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Pundag No-228 Ranch Khat No. 252 plus No. 183 & 190 B Area 4.50 kaha							

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें

1-बंदक -पत्र की दशा में व्याज का दर और गुणमान की अवधि दर्ज करें। बशर्त कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और कार्रिक लगान दर्ज करें।

मे यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ा उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया:-

हस्ताक्षर Bum

(पदनाम)- 5-8-23

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जांच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर _____

(पदनाम)-

कार्यालय 5-2-0-Kanur

तारीख 5-8-23



f

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

5-8-23

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुरार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की नियंत्रित दरतावेजों में दिखाया गया हो, तो वेही दरतावेजों के प्रमाणित संव्यवहारों (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हो अथवा जो उनके प्रतिस्तिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों अवमारों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों एवं अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु बुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सवधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गए तलाशी परिणाम की किराी मूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

✓ (3) और बुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढ़े गए संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों अवमार की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पडता हो।

शु. 322 री. 5-8-23 अप. Dr. Asha Saha की शु. 270 50

44 Manager T. O. Bank Ranchi की शु.

f

निबंधन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (काके)

5-8-23